


## राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक पांच, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,  
जवाहर लाल नेहरू सार्ग, जयपुर,



फोन : 0141-2719073

क्रमांक : रास्कूशि.प./जय./2911

Email : rajssarte@gmail.com

फैक्स : 0141-5107388

दिनांक 29/6/18

### बैठक कार्यवृत्त

शैक्षिक सत्र 2018-19 में आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटेस पर प्रवेश का कार्य चल रहा है जो दिनांक 31.7.2018 तक पूँछा किया जाना है साथ ही सत्र 2017-18 के सत्यापित विद्यार्थियों की फीस की प्रथम किस्त के पुनर्भरण का कार्य भी गत सत्र से चल रहा है तथा द्वितीय किस्त के पुनर्भरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना है। वर्तमान में गैर-सरकारी विद्यालयों की वर्ष 2018-19 की मान्यता का कार्य भी चल रहा है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 11.06.2018 को आयुक्त महोदय एवं राज्य परियोजना निदेशक महोदया द्वारा समीक्षा बैठक ली गयी। बैठक में निम्नांकित अधिकारी उपरिथत हुए तथा निम्नांकित निर्णय लिए गए:-

#### बैठक में भाग लेने वाले कार्यालय/अधिकारी/प्रतिनिधि :-

1. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उपायुक्त (आरटीई), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक एवं पीएसपी प्रभारी एनआईसी, जयपुर।
6. राज्य समन्वयक, पीएसपी-सीरी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. उप-निदेशक (आरटीई), निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. सहायक निदेशक (पीएसपी), निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
9. प्रभारी अधिकारी, (आरटीई), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
10. सहायक निदेशक, आरटीई, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. एपीसी आरटीई/आरटीई प्रभारी अधिकारी एवं मान्यता प्रभारी अधिकारी, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समस्त जिले (जिलेवार सूची संलग्न)।
12. आरटीई प्रभारी अधिकारी एवं मान्यता प्रभारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि.(प्रथम व द्वितीय) कार्यालय, समस्त जिले (जिलेवार सूची संलग्न)।

#### बैठक में लिए गए निर्णयः—

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु	बैठक में लिये गये निर्णय	पालना करने वाले कार्यालय
1.	सत्र 2018-19 में आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटेस पर प्रवेश की स्थिति की समीक्षा।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• शैक्षिक सत्र 2018-19 में आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत 28488 गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटेस पर प्रवेश हेतु 11,41,400 (कुल आवेदनकर्ता बालक 2,62,454) आवेदन प्राप्त हुए हैं, लॉटरी उपरान्त प्रवेशित विद्यार्थियों के विवरण की ऑनलाइन प्रविष्टि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा दिनांक 31.07.2018 तक की जानी है।</li> </ul>	सम्बन्धित गैर-सरकारी विद्यालय एवं जि.शि.अ. कार्यालयों के एपीसी।

क्र. सं.	एजेंडा बिन्दु	बैठक में लिये गये निर्णय	पालना करने वाले कार्यालय
		<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा इस कार्य की सतत मॉनिटरिंग की जाए तथा यदि गैर-सरकारी विद्यालयों को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि में कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाए।</li> </ul>	आरटीई/आरटीई प्रभारी अधिकारी
2	<p>सत्र 2015–16 एवं 2016–17 में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत एवं सत्यापित विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूल के लिए बीईईओ कार्यालय द्वारा एवं माध्यमिक शिक्षा के स्कूल के लिए डीईओ मा.शि. कार्यालय द्वारा किया गया है। गत वर्षों में करवायी गयी विशेष जॉर्डों के कारण अभी भी कुछ स्कूल की फीस का पुनर्भरण बकाया है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिन विद्यालयों के जॉर्ड प्रकरणों पर अभी भी कोई कार्यवाही लम्बित है उनको तत्काल निस्तारित किया जाए तथा इनकी फीस का नियमानुसार पुनर्भरण किया जाए।</li> <li>जो गैर-सरकारी विद्यालय पुनर्भरण के लिए दावा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं उन्हें नोटिस देकर लिखित में लिया जाए कि वह पुनर्भरण नहीं लेना चाहते हैं।</li> <li>पुनर्भरण सम्बन्धी समस्त का कार्य 31 जुलाई, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाए।</li> </ul>	सम्बन्धित गैर-सरकारी विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि./मा.शि. कार्यालय एवं निवेशालय प्रा.शि./मा.शि., राज. बीकानेर
3	<p>सत्र 2017–18 में निःशुल्क सीट्स पर सत्यापित विद्यार्थियों की फीस की प्रथम किरत का पुनर्भरण जारी है। 19700 विद्यालयों को 154.02 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। बकाया भुगतान की समीक्षा की जानी है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिन विद्यालयों की सत्र 2017–18 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कार्यालय प्रति से मिलान नहीं खाने के कारण आपके द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी है तथा विद्यालयों ने उसे अभी तक सही कर लॉक नहीं किया है, उनकी सतत मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट को लॉक करवाएं जिससे उनकी फीस का पुनर्भरण किया जा सके।</li> <li>कार्यालय स्तर पर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के मिलान का कार्य तत्काल निस्तारित करना है।</li> <li>सत्र 2017–18 के पुनर्भरण कार्य को 31 जुलाई, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाए।</li> </ul>	सम्बन्धित गैर-सरकारी विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रा.शि./मा.शि.(प्रथम व द्वितीय)
4	<p>सत्र 2017–18 में सत्यापित विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण की द्वितीय किरत का भुगतान किया जाना है। भुगतान से पूर्व विद्यार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम, जन्म तिथि में आधार/आधार पंजीयन के अनुसार संशोधन किये जाने हैं(यदि आवश्यक हैं तो)। यह संशोधन विद्यालय लॉगिन से होंगे अतः इसके लिए समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों को सूचित किया जाए तथा आवश्यक होने पर प्रशिक्षित किया जाए।</p> <p>सत्र 2017–18 की द्वितीय किरत का पुनर्भरण करने से पहले निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के आधार कार्ड/आधार पंजीयन रसीद की फोटो कॉपी पर दिए गए विवरण एवं पोर्टल पर उपलब्ध विवरण का मिलान करना है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम, जन्म तिथि एवं जोड़े में आधार/आधार पंजीयन के अनुसार संशोधन किये जाने हैं(यदि आवश्यक हैं तो)। यह संशोधन विद्यालय लॉगिन से होंगे अतः इसके लिए समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों को सूचित किया जाए तथा आवश्यक होने पर प्रशिक्षित किया जाए।</li> <li>सत्र 2017–18 की द्वितीय किरत का पुनर्भरण करने से पहले निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के आधार कार्ड/आधार पंजीयन रसीद की फोटो कॉपी पर दिए गए विवरण एवं पोर्टल पर उपलब्ध विवरण का मिलान करना है।</li> </ul>	सम्बन्धित गैर-सरकारी विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रा.शि./मा.शि.(प्रथम व द्वितीय)

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु	बैठक में लिये गये निर्णय	पालना करने वाले कार्यालय
		<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्यार्थियों के आधार कार्ड/आधार पंजीयन रसीद की फॉटो कॉपी द्वारा प्रपत्र के साथ गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा जाक द्वारा प्रेषित की जाएगी।</li> <li>विद्यार्थियों का आधार कार्ड/आधार पंजीयन रसीद पर दिए गए विवरण का पोर्टल पर दिए गए विवरण से मिलान खाने पर ही फीस का पुनर्भरण किया जाए। इस विवरण के मिलान नहीं होने पर विद्यार्थियों के विवरण को सही करवाया जाए।</li> <li>यह समस्त कार्य 15 अगस्त, 2018 से पहले पूरा कर लिया जाए।</li> </ul>	
5	शैक्षिक सत्र 2018-19 में गैर-सरकारी विद्यालयों को दी जाने वाली मान्यता की स्थिति की समीक्षा।	<ul style="list-style-type: none"> <li>शैक्षिक सत्र 2018-19 में गैर-सरकारी विद्यालयों को दी जाने वाली मान्यता के लिए ग्रीष्मावकाश के तत्काल बाद निरीक्षण दलों का गठन कर निरीक्षण कार्य को पूर्ण किया जाए।</li> <li>निरीक्षण उपरान्त अन्य आवश्यक कार्यवाही यथा निरीक्षण रिपोर्ट को अपलोड करना, जिला शिक्षा अधिकारी का अभियंत दर्ज करना, निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करना, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के लिए आरक्षित कोष की राशि के डी.डी. एवं फिक्सड डिपोजिट के दस्तावेज प्राप्त कर मान्यता प्रमाण पत्र देना आदि कार्यों को निर्धारित टाइमफ्रेम के अनुसार आवश्यक रूप से पूरा किया जाना है।</li> </ul>	सम्बन्धित गैर-सरकारी विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रा.शि. /मा.शि.(प्रथम व द्वितीय), एवं निदेशालय प्रा.शि. /मा.शि., राज. बीकानेर
6	बैठक में अनुपरिधत रहे एपीसी आरटीई/आरटीई प्रभारी अधिकारी एवं मान्यता प्रभारी अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही।	<ul style="list-style-type: none"> <li>बैठक में समस्त जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. एवं मा.शि. (प्रथम व द्वितीय) कार्यालयों में कार्यरत एपीसी आरटीई/आरटीई प्रभारी अधिकारी एवं मान्यता प्रभारी अधिकारियों को आमन्त्रित किया गया था।</li> <li>जिन जिलों से प्रभारी अनुपरिधत रहे उनका विवरण निम्नानुसार है— एपीसी आरटीई/आरटीई प्रभारी प्रा.शि. जिला-बाड़मेर एवं जौसलमेर। एपीसी आरटीई/आरटीई प्रभारी मा.शि. जिला-जिला- बांसा, दौसा, जालौर, पाली, प्रतापगढ़ एवं सीकर।</li> </ul>	निदेशालय प्रा.शि. /मा.शि., राज. बीकानेर

क्र. सं.	एजेंडा बिन्दु	बैठक में लिये गये निर्णय	पालना करने वाले कार्यालय
		<p>मान्यता प्रभारी प्रा.शि. जिला— अलवर, बाड़मेर, दौसा, जैसलमेर एवं पाली।</p> <p>मान्यता प्रभारी भा.शि. जिला— बांस, चुल, गोपालगढ़, जालौर, जोधपुर—प्रथम, जागौर—प्रथम, पाली, प्रतापगढ़ एवं सीकर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुपरिथित रहे समस्त ज़िलों के प्रभारी अधिकारियों के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारियों से काशण पता किया जाए तथा आवश्यक होने पर प्रभारी अधिकारियों के सिलाफ कार्यवाही की जाए।</li> <li>• अनुपरिथित रहे समस्त प्रभारी अधिकारियों को सम्बन्धित ज़िलेशालय में बुलवाकर बैठक में हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जाए जिससे कार्य सम्पादन में कोई समस्या नहीं रहे।</li> </ul> <p>उपरोक्त निर्णयों के उपरान्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।</p>	

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(सुरेश चन्द्र)  
अति. आयुक्त

## कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/प्रारं/RTE/B/बैठक सूचना/18863/18-19/119

दिनांक—11/07/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 01.उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्य सम्पादित करवाना सुनिश्चित करावे।
- 02.जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि वे उपर्युक्तानुसार कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 03.निजी सचिव, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 04.राज्य समन्वयक, पीएसपी—सीसी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।

उपनिदेशक (आरटीई)  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर